प्रतिवेद्य

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र

सिविल अपील संख्याएँ 9413–9414/2019

(SLP (सि.) संख्याएँ 23297–23298 / 2018 से उद्भूत)

रजनीश कुमार मिश्रा एवं अन्य

इत्यादि **...अपीलार्थी(गण)**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

इत्यादि **...प्रत्यर्थी(गण)**

निर्णय

अनुमति प्रदान की गई।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. यह अपील 09.07.2018 दिनांकित को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और उक्त उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कुछ संशोधनों के साथ पारित 14.9.2017 दिनांकित के आदेश की पुष्टि की है।

4. संक्षेप में, वर्तमान अपीलों को उद्भूत करने वाले तथ्य निम्नानुसार हैं।

5. विचारपति के पद अंबेडकर नगर के सृजन पर, अपीलार्थियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थियों को वर्ष 1999–2001 में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थियों की प्रारंभिक नियुक्ति तीन माह की अवधि के लिए की गई थी, जिसे समय–समय पर बढ़ाया गया था।

6. वर्ष 2001 में, वर्ग–III के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके कारण अपीलार्थियों को उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर करने के लिए संचालित किया गया था, जिन्हें एक साथ संयोजित किया गया था, अग्रणी रिट याचिका W.P. सं. 7544(S/S)/2003 थी। रिट याचिकाओं के उक्त समूह में दिनांक 01.08.2006 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन कर सकते हैं और उनके मामलों पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि उन्हें आयु में छूट दी जा सकती है तो जिला न्यायाधीश विचार करने के लिए उनके नाम उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विभाग में भेज सकते हैं। आगे यह अवलोकन किया गया कि यह जनपद न्यायाधीश और चयन समिति के लिए अपीलार्थियों की सेवावधि और अनुभव इत्यादि को ध्यान में रखने के लिए था। आगे यह निर्देशित किया गया था कि चयन प्रक्रिया समाप्त होने तक, अपीलार्थियों को उसी योग्यता में सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

7. यह अभिलेख से प्रतीत होता है कि तत्पश्चात उक्त चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई और दिनांक 01.08.2006 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसार अपीलार्थियों को तदर्थ आधार पर सेवायोजित रखा गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि इस बीच

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलार्थियों ने, चूंकि उन्हें लंबे समय तक जारी रखा गया था, इसलिए नियमितीकरण के लिए जनपद न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर का प्रतिनिधित्व लिया। दिनांक 28.5.2012 के आदेश द्वारा जनपद न्यायाधीश ने एक अपर जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें दो अन्य सदस्य सम्मिलित थे जो न्यायिक अधिकारी भी थे। उक्त समिति ने अपीलार्थियों के नियमितीकरण की सिफारिश करते हुए दिनांक 12.07.2012 को अपनी आख्या प्रस्तुत की। समिति द्वारा की गई उक्त सिफारिश के अनुवर्ती, जनपद न्यायाधीश ने दिनांक 09.11.2012 को अपीलार्थियों की सेवाओं को नियमित करने के आदेश पारित किए। हालाँकि, जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में आनुक्रमिक ने 16.08.2014 दिनांकित को एक आदेश पारित किया, जिसके फलस्वरूप यह घोषणा की गई कि नियमितीकरण के आदेश गैर–जरूरी थे। उसी दिन यानी दिनांक 16.08.2014 को पारित एक दूसरे आदेश से, जनपद न्यायाधीश ने भी पूर्व के आदेश को वापस ले लिया, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को कुछ अन्य लाभों के साथ वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। जनपद न्यायाधीश ने दिनांक 16.08.2014 को एक तीसरा आदेश पारित किया, जिससे अपीलार्थियों को भुगतान किए गए परिलब्धियों की वसूली का निर्देश दिया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 14.9.2017 को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज किए जाने के पश्चात, दिनांक 23.9.2017 को अपीलार्थियों की सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया गया।

8. उपरोक्त तीन आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने 2014 की रिट याचिका सं.4813 (एस/एस)/2014 और रिट याचिका सं.5530 (एस/एस)/2014 दायर की। दिनांक 14.09.2017 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और प्रत्येक अपीलार्थी (याचिकाकर्ताओं) पर 50,000/– रुपये की लागत भी लगाई।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

9. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। हालांकि डिवीजन बेंच ने अपीलों को खारिज करते हुए आदेश को अपास्त किया, जहां तक लागत का बोझ चिंताशील है। चूंकि डिवीजन बेंच ने आगे निर्देशित किया कि मनीष कुमार मालवीय, जो उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलार्थियों में से एक थे, को दिनांक 06.04.1998 को नियुक्त किया गया था, वे वर्ष 2001 में संशोधित उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों की नियमितीकरण नियमावली, 1979 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) नियमितीकरण के लिए विचार योग्य थे। आगे यह निर्देशित किया गया था कि नियमितीकरण के लिए उनके मामले पर विचार करने के परिणाम तक उन्हें तदर्थ आधार पर जारी रखा जाना चाहिए। डिवीजन बेंच ने आगे निर्देशित किया कि यदि भविष्य में तृतीय श्रेणी के पदों के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया होती है, तो अपीलार्थियों को उसी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और न्यायालय आयु में छूट और तदर्थ योग्यता में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवावधि का कुछ लाभ देते हुए वरीयता देने पर विचार करेगा। इससे व्यथित होकर अपीलार्थियों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

10. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत विद्वत अधिवक्ता सुश्री कामिनी जायसवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ–साथ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपीलार्थियों की याचिकाओं और अपीलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि अपर जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 05.11.2009 के आधार पर दिनांक 12.07.2012 को आख्या प्रस्तुत की थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जनपद न्यायाधीश के कार्यालय के तत्कालीन पदाधिकारी ने आख्या पर विचार करने के पश्चात सही माना था और दिनांक 9.11.2012 को नियमितीकरण का आदेश जारी किया। उन्होंने तर्क दिया कि वास्तव में, आनुक्रमिक के लिए जिला न्यायाधीश के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कार्यालय में दिनांकित 16.08.2014 के आदेश को पारित करने का कोई अवसर नहीं था, नियमितीकरण के आदेश को रद्द करते हुए दिनांक 9.11.2012 को आदेश दिया गया था।

11. अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाओं के लंबन के दौरान कार्य कर रहे व्यक्तियों का उ.प्र. नियमितीकरण की दैनिक मजदूरी पर अथवा कार्य प्रभार पर अथवा समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों की नियमावली, 2016 (उ.प्र. लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर) बनाए गए थे। नियम 6 में कटऑफ की तारीख 31.12.2001 प्रदान की गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय उक्त नियमों के महत्व को ध्यान में रखने में विफल रहा है। 12. विद्वत अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह न्यायालय ***शिव नारायण नागर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य***[1] के मामले में, ***सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य***[2] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के पश्चात, जिसमें यह अवलोकित गया था कि नियोक्ता को उन कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए कदम उठाने चाहिए जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की सेवा में रखा था और अपीलार्थियों के नियमितीकरण का निर्देशित किया गया था। विद्वत अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अपील अनुमति दी जाने योग्य है और आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त होने के पात्र हैं।

13. प्रत्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर. सिंह यह तर्क प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2006 को पारित अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा में बने रहे और इस प्रकार, जो एक मुश्त नियमितीकरण का लाभ ***उमादेवी*** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा प्रदान किया गया, वह अपीलार्थियों को नहीं दिया जा सकता। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक

---

[1] (2018) 13 SCC 432 {Civil Appeal No. 18510 of 2017 [@ SLP(C) No. 6183/2015]}
[2] (2006) 4 SCC 1

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

12.07.2012 को गठित समिति की आख्या कपटपूर्ण थी और इस प्रकार, जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में आनुक्रमिक ने दिनांक 16.08.2014 को एक आधिकारिक आदेश पारित किया था, जिसके चलते 12.07.2012 दिनांकित की आख्या के आधार पर पारित किये गए नियमितीकरण के आदेश 09.11.2012 दिनांकित को निरस्त कर दिया गया। वह आगे तर्क देते हैं कि कि अपीलार्थी न्यायसंगत राहत के हकदार नहीं हैं और इस प्रकार, अपील खारिज होने के योग्य है।

14. हमने अभिलेख पर दर्ज तथ्य का अवलोकन किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा संबोधित परिपत्र 05.11.2009 दिनांकित यह दर्शाएगा कि सभी जनपद न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया है कि वर्ग –III और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को बहाल करने के लिए, ऐसे सभी नियुक्त तदर्थ दैनिक वेतनभोगी, जिन्हें कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बगैर दिनांक 31.12.2001 के अनुवर्ती नियुक्त किया गया हो, उन्हें तुरंत कार्य करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त परिपत्र में उक्त कटऑफ तिथि प्रदान की गई है, यद्यपि उत्तर प्रदेश की समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतनभोगी नियुक्ति नियमावली, 2001 के प्रावधानों को दिनांक 31.12.2001 को अधिसूचित किए गए थे। मूलतः परिपत्र दिनांकित 05.11.2009 और दिनांक 31.12.2001 की कटऑफ तिथि पर विचार करने के पश्चात अपर जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति ने अपीलार्थियों के नियमितीकरण की सिफारिश करते हुए आख्या प्रस्तुत की थी। उसी पर विचार करते हुए, समिति ने यह भी पाया कि सभी अपीलार्थियों को दिनांक 31.12.2001 से पूर्व नियुक्त किया गया था; तत्पश्चात वे निरंतर सेवा में थे और उनकी सेवाएं संतोषजनक थीं। उक्त रिपोर्ट के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश ने आदेश दिनांकित 09.11.2012 के माध्यम से दिनांक 01.06.2012 से अपीलार्थियों की सेवाओं को नियमित कर दिया। ऐसा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रतीत होता है कि वर्ष 2014 के बाद में कुछ कर्मचारियों ने पदोन्नति के लिए आनुक्रमिक ने जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में अभिवेदन प्रस्तुत किया। उसी की जांच करते हुए, जनपद न्यायाधीश ने पाया कि अपीलार्थियों का नियमितीकरण उचित नहीं था और इसलिए, आदेश दिनांकित 6.08.2014 के माध्यम से अपीलार्थियों के नियमितीकरण को रद्द कर दिया और राशि की वसूली के लिए भी आदेश दिया, जो कि अपीलार्थियों को दिनांकित 09.11.2012 के आदेश के आधार पर प्राप्त हुआ था।

15. एकल न्यायाधीश के साथ–साथ डिवीजन बेंच ने मुख्यतः अपीलार्थियों को इस आधार पर गैर–जिम्मेदार ठहराया है कि अपीलार्थियों का नियमितीकरण अपीलार्थियों और समिति के सदस्यों के बीच साँठ –गाँठ के कारण था। हालांकि, पुनर्याचिका के मूल्य पर हम यह कह सकते हैं कि अपर जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता के तहत समिति की आख्या मुख्यतः उच्च न्यायालय के महानिबन्धक द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 05.11.2009 के आधार पर है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस समय तक जब नियमितीकरण के लिए अपीलार्थियों के मामले समिति के समक्ष विचारार्थ आए थे, तब तक ***उमादेवी*** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय पहले ही सुनाया जा चुका था। उक्त निर्णय में ही, संविधान पीठ ने यह प्रावधान किया था कि राज्य को एक मुश्त मापदण्ड के रूप में कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सेवाएं प्रदान की थीं।

16. आगे यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य के सेवायोजन में समान रूप से परिस्थितिजन्य वे कर्मचारी, जिन्हें दैनिक वेतनभोगी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए प्रार्थना की थी। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

खारिज कर दिया था जो डिवीजन बेंच द्वारा आदेशों की पुष्टि की गई थी। उक्त कर्मचारियों ने *शिओ नारायण नागर* (उपरोक्त उद्धृत) के मामले में सिविल अपील सं. 18510/2017 (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 6183/2015 से उद्भूत) के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ***शिओ नारायण नागर*** *(उपरोक्त)* में इस न्यायालय की निम्नलिखित अवलोकनों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:

> "अपीलार्थियों को नियमित रूप से एक मुश्त मापदण्ड के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता थी, जैसा कि *उमादेवी (उपरोक्त)* के प्रस्तर 53 में प्रतिपादित किया गया था। चूंकि अपीलार्थियों ने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी और दिनांक 02.10.2002 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रत्यर्थियों द्वारा अस्थायी स्थिति दी गई थी, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थियों की सेवाओं को उक्त तिथि यानी दिनांक 02.10.2002 से नियमित किया जाए, आज से तीन माह की अवधि के भीतर अपीलार्थियों को परिणामी लाभ और वेतन का बकाया भी भुगतान किया जाए।"

17. एक अन्य पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि याचिकाओं के लंबन के दौरान, नियमितीकरण के संबंध में नियमों में संशोधन किया गया था, जिसमें दिनांक 31.12.2001 की कटऑफ तिथि प्रदान की गई थी। निर्विवाद रूप से, सभी अपीलार्थियों को दिनांक 31.12.2001 से पूर्व नियुक्त किया गया था। कानून की स्थिति में बदलाव को उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह विवाद में नहीं है कि सभी अपीलार्थियों को दिनांक 31.12.2001 से पूर्व नियुक्त किया गया था। निर्विवाद रूप से, रिट याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों के कारण अपीलार्थियों को दिनांक 01.08.2006 से सेवाओं में जारी रखा गया था। हालांकि, चयन प्रक्रिया जिसमें अपीलार्थियों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी वे उस दिन को नहीं देख सके, क्योंकि इसे बाद में 2008 में रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार, तथ्य के मामले के रूप में जब अपर जनपद न्यायाधीश की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अध्यक्षता के तहत एक समिति द्वारा नियमितीकरण के लिए अपीलार्थियों के मामले पर विचार किया गया था, वास्तव में अपीलार्थियों को लगभग 12 वर्षों की अवधि के लिए सेवा में रखा जा चुका था।

18. इस प्रकार, दिनांकित 05.11.2009 को उच्च न्यायालय के महानिबन्धक द्वारा जारी परिपत्र के अतिरिक्त, अपीलार्थियों के मामलों को भी ***उमादेवी*** (उपरोक्त) में बनाए गए अपवाद के दृष्टिगत ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। हम पाते हैं कि अपर जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता के तहत समिति ने दिनांकित 12.07.2012 को अपनी आख्या को सही ढंग से प्रस्तुत किया था और तत्कालीन जिला न्यायाधीश ने दिनांक 09.11.2012 को नियमितीकरण का आदेश पारित किया था, जो दिनांक 01.06.2012 से नियमितीकरण प्रदान करता है। पदोन्नति के लिए कुछ कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए हम यह पाते हैं कि आनुक्रमिक जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में अपीलार्थियों के नियमितीकरण के आदेश को रद्द नहीं कर सकता था जो उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया गया था। कम से कम जो किया जाना आवश्यक था, वह अपीलार्थियों को सुनवाई का अवसर देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना था। हम पाते हैं कि जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.08.2014 को पारित तीन आदेश भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से ग्रस्त हैं।

19. किसी भी मामले में, हम पाते हैं कि ***उमादेवी*** (उपरोक्त) के मामले में किए गए अपवाद को देखते हुए, जो 10 साल अथवा उससे अधिक समय तक के कर्मचारियों को पूर्व नियमितीकरण प्रदान करते हैं; इसी तरह के परिस्थितिजन्य कर्मचारियों की समानता जिन्हें ***शिओ नारायण नगर*** (उपरोक्त) और 2016 में संशोधित नियमों के मामले में लाभ अनुदानित किया गया है, जो कटऑफ की तिथि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

31.12.2001 प्रदान करते हैं, अपीलार्थी भी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए हकदार हैं।

20. परिणामत:

1) अपील मंजूर की जाती है;

2) निर्णय और आदेश 14.09.2017 दिनांकित को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित रिट याचिका सं.4813(एस/एस)/2014 और रिट याचिका सं.5530(एस/एस)/2014 साथ ही उक्त उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 16.07.2018 दिनांकित को विशेष अपील सं.440/2017 और विशेष अपील सं.444/2017 को रद्द और अपास्त कर दिया गया है; और

3) जनपद न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित 16.08.2014 दिनांकित के आदेशों को रद्द और अपास्त कर दिया गया है और 23.09.2017 दिनांकित की समाप्ति के परिणामी आदेश को भी रद्द और अपास्त कर दिया गया है।

4) जनपद न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित 9.11.2012 दिनांकित के आदेश को दिनांक 01.06.2012 से अपीलार्थियों की सेवाओं को नियमित करते हुए बरकरार रखा गया है।

5) परिणामस्वरूप, उनकी सेवाओं से अपीलार्थियों की समाप्ति को रद्द और अपास्त कर दिया जाता है और अपीलार्थियों को, जिनके अंतर्गत सेवांत हितलाभ भी हैं, सभी प्रयोजनों के लिए सेवा में निरंतरता के साथ, तत्काल बहाल करने का निदेश दिया जाता है. हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी उस अवधि के लिए वापस मजदूरी के हकदार नहीं होंगे, जिसके दौरान वे रोजगार से बाहर हैं।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

21. तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा।

.....

(भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे)

.....

(न्यायमूर्ति बी.आर. गवई)

.....

(न्यायमूर्ति सूर्य कान्त)

नई दिल्ली;

13 दिसम्बर, 2019

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।